# शासकीय कार्यक्रमों, समारोह, बैठकों के मासिक टी.व्ही. कव्हरेज एवं मल्टीकैम से कव्हरेज हेतु

## नियम–शर्ते

राज्य शासन के कार्यक्रमों, समारोह, आयोजनों एवं बैठकों के मासिक टीव्ही कव्हरेज तथा मल्टीकेम सेटअप से कव्हरेज संबंधी नियम–शर्ते निम्नानुसार है :–

1– एजेंसी द्वारा राज्य शासन के विभिन्न कार्यक्रमों, समारोह, बैठकों एवं विकास कार्यों की समय सीमा में कव्हरेज की जाएगी।

2– कार्यक्रम कव्हरेज के फुटेज एवं क्लिपिंग दूरदर्शन और अन्य चैनलों को पहुंचाने की जवाबदारी निविदाकार की होगी।

3– टी.वी. चैनलों, जनसंपर्क संचालनालय एवं दूरदर्शन को गुणवत्ता युक्त कव्हरेज कर इमेल, व्हाट्सऐप एवं अन्य माध्यमों से तथा आवश्यकता पड़ने पर विशेष वाहक से न्यूज क्लिपिंग यथासमय प्रेषित की जाएगी।

## मासिक टी.व्ही. कव्हरेज न्यूनतम अर्हता

4– निविदाकार फर्म के पास स्वयं का एचडी कैमरा उपकरण होना अनिवार्य है तथा फर्म के पास छत्तीसगढ़ राज्य के कम से कम 10 जिला मुख्यालयों (जिला दुर्ग, कबीरधाम, बेमेतरा, जगदलपुर, दन्तेवाड़ा, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, जांजगीर–चांपा एवं अम्बिकापुर) में कैमरा मेन अथवा कैमरा मेन की सेवा लेने संबंधित अनुबंध एवं फर्म के स्वयं के अथवा अनुबंधित कैमरा मेन के स्वामित्व का **HD** कैमरा होना अनिवार्य है। उपकरण के साक्ष्य हेतु बिल/दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य है। फर्म का कार्यालय रायपुर में होना अनिवार्य है। फर्म के पास राजधानी रायपुर में स्वयं के पास अथवा अनुबंधित कैमरा मेन के साथ स्वामित्व का 04 **HD** कैमरा होना अनिवार्य है, साक्ष्य हेतु बिल/दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य है।

5– विभिन्न शासकीय कार्यक्रमों के टी.व्ही. कव्हरेज के लिये निविदाकार को एचडी (हाई डेफीनेशन) फारमेट में वीडियोग्राफी (न्यूज कव्हरेज), एडिटिंग ई–मेल एवं व्हाट्सऐप से न्यूज भेजने की मासिक कव्हरेज की एकमुश्त दर निविदा फॉर्म में भरना होगा। निविदाकार मासिक कव्हरेज की दर एकमुश्त उल्लेख करें।

6– सफल निविदाकार द्वारा मासिक दर पर राजधानी रायपुर में राज्यपाल जी के कार्यक्रमों के कव्हरेज हेतु 01 वीडियोग्राफर, मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रमों के कव्हरेज के लिये 01 वीडियोग्राफर की सेवाएं उपलब्ध कराई जाएगी । मासिक दर पर आवश्यकतानुसार जनसंपर्क विभाग द्वारा सेवाएं कम या ज्यादा की जा सकती है।

7– जिलों में मासिक दर पर सेवाएं आवश्यकतानुसार ली जाएगी।

8– मासिक दर पर जिलों में रखे गए वीडियोग्राफर को जिला जनसंपर्क कार्यालय में उपस्थित रहकर जिला जनसंपर्क अधिकारी के मार्गदर्शन में कार्य करना होगा।

9– निविदा में प्राप्त न्यूनतम मासिक दर के आधार पर न्यूनतम दर वाले निविदाकार को राजधानी एवं जिलों का कार्य आबंटन किया जाएगा।

## मल्टीकैम सेटअप से कव्हरेज न्यूनतम अर्हता

10– निविदाकार फर्म के पास मल्टीकैम सेटअप (कम से कम 04 कैमरे से कव्हरेज) महत्वपूर्ण इवेंट, आयोजनों एवं कार्यक्रमों के कव्हरेज के लिए कैमरा, कुशल मैनपॉवर एवं उपकरण होना चाहिए। जरूरत पड़ने पर मल्टीकेम सेटअप में ड्रोन कैमरे से कव्हरेज की सुविधा भी होनी चाहिए।

11– निविदाकार के पास मल्टीकैम सेटअप के जरिये शासकीय कार्यक्रमों के कव्हरेज को डिजिटल प्लेटफार्म एवं ऑन स्पॉट एलईडी स्क्रीन पर लाईव फिड उपलब्ध कराने आवश्यक उपकरण, साफ्टवेयर एवं तकनीक उपलब्ध होना चाहिए।

12– मल्टीकैम सेटअप से कव्हरेज हेतुकम से कम 04 कैमरा (वीडियो स्वीचर, माईक वायरलेस ट्रांसमिटर, रिसीवर, ऑडियो मिक्सर) लाईट टाकबेक सिस्टम (पोर्टेबल एलईडी लाईट सेटअप), निविदाकार के पास उपलब्ध होना चाहिए। ग्राफिक्स एवं टाईटल इंसर्टिंग सुविधा होना चाहिए। निविदाकार के पास **Visual Switcher – 4 Input, 2 HDMI** और **2 SDI** आउटपुट होना चाहिए।

13– निविदाकार को मल्टीकैम सेटअप के लिए आवश्यक उपकरणों की सूची, मैनपॉवर एवं उपकरणों की सूची प्रस्तुत करना होगा।

14– मल्टीकैम सेटअप के साथ लाइव वेबकास्ट एवं विभिन्न प्लेटफार्म को फिड उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक उपकरणों की सूची एवं उनकी उपयोगिता की जानकारी प्रस्तुत करना होगा।

# अन्य नियम एवं शर्ते

15— संस्था का स्थापना पंजीयन छत्तीसगढ़ राज्य में होना अनिवार्य है।

16— समाचार चैनल एवं मीडिया हाउस को निविदा में हिस्सा लेने हेतु पात्रता नहीं होगी।

17— निविदा में ज्वाईन्ट वेंचर (कन्सोटियम ) मान्य नहीं होगा।

18— निविदाकार संस्था का गत 3 वर्षों का 2017—18, 2018—19 एवं 2019—20 का टर्न ओव्हर टी.व्ही. कव्हरेज/वीडियो/ऐड फिल्म/डाक्यूमेन्ट्री निर्माण से संबंधित कार्यों का 25 लाख रूपये (रूपये पचीस लाख) प्रतिवर्ष का टर्नओव्हर होना अनिवार्य है। गत् तीन वर्ष का उक्त कार्यों से संबंधित सीए से सत्यापित टर्न ओव्हर प्रमाण—पत्र संलग्न करना होगा।

19— निविदाकार संस्था को न्यूज कव्हरेज का न्यूनतम पांच वर्ष का अनुभव होना चाहिये। निविदाकार फर्म ने जिस न्यूज चैनल/दूरदर्शन/संस्था के लिये न्यूज कव्हरेज का कार्य किया है, उसका सक्षम अधिकारी से प्रमाणित अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करें। जिस संस्था के लिये न्यूज कव्हरेज का कार्य किया है, उस संस्था के विगत पांच वर्ष का कार्य आदेश की प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

20— निविदाकार फर्म के पास कार्यक्रमों की वीडियोग्राफी विभिन्न न्यूज चैनलों को क्लीपिंग्स सम्प्रेषण ई—मेल एवं अन्य डिजिटल माध्यम से वीडियो फुटेज टी.व्ही. चैनलों को उपलब्ध कराने की सुविधा होनी चाहिए।

21— राजधानी तथा जिलों में मासिक किराए पर रखे गए टी.व्ही. टीम को जनसंपर्क विभाग के निर्देशों के अनुसार जहां आवश्यक होगा भेजा जाएगा।

22— कैमरा एवं उपकरणों की क्रय संबंधी जानकारी जैसे क्रय किए जाने की तिथि, मूल्य मॉडल नम्बर का उल्लेख होना चाहिए। निविदाकार एवं उसके अनुबंधित कैमरामैन के पास कैमरे एवं उपकरणों का स्वामित्व होना चाहिये।

23— निविदाकार के पास स्वयं के स्वामित्व के ऑडियो—वीडियो स्टुडियो के साथ एडिटिंग, डबिंग, ट्रांसफर की सुविधा होना अनिवार्य है। (उपकरण की सूची मय क्रय बिल के साथ संलग्न करें)।

24— शासकीय कार्यक्रमों के कव्हरेज (सम्पूर्ण वीडियोग्राफी और फुटेज) का सर्वाधिकार जनसंपर्क संचालनालय का होगा। चयनित निविदाकर्ता द्वारा जनसंपर्क संचालनालय के सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी भी शासकीय कव्हरेज का फुटेज उपलब्ध नहीं कराया जाएगा।

25— निविदाकार द्वारा कव्हरेज किये गए वीडियो का आर्काईविंग का कार्य किया जाएगा।

26— फुटेज के लिए पृथक से एडिटिंग कराने पर जनसंपर्क संचालनालय की पूर्व निर्धारित दर प्रति मिनट फुटेज की दर रू. 1500 + जीएसटी, प्रति डिवाईस 1 टीबी की दर रू. 3800 + जीएसटी, पेनड्राईव 16 जीबी की दर रू. 400 + जीएसटी, पेनड्राईव 32 जीबी रू. 500 + जीएसटी एवं प्रति डीव्हीडी की दर रू. 15 + जीएसटी मान्य होगी।

27— निविदाकार फार्म/व्यक्ति/संस्था का वित्तीय वर्ष 2018—19, 2017—18 एवं 2016—17 का आयकर विवरणी एवं वित्तीय वर्ष 2019—20, 2018—19 का जीएसटी रिटर्न की स्वयं सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

28— शासन को देय टैक्स एवं जीएसटी नियत समय में जमा कर रिटर्न जमा करने का दायित्व निविदाकार फर्म की होगी।

29— जनसंपर्क संचालनालय द्वारा मल्टीकेम सेटअप एवं मासिक टी.व्ही. कव्हरेज हेतु वाहन की सुविधा उपलब्ध नहीं करायी जाएगी। आवश्यकतानुसार राजधानी रायपुर से बाहर कव्हरेज हेतु निविदाकार फर्म द्वारा वाहन का उपयोग किए जाने पर शासन द्वारा अनुमोदित दर पर पृथक से वाहन किराया का भुगतान किया जाएगा।

30— जनसंपर्क संचालनालय की आवश्यकता अनुरूप किसी भी समय निविदा नियम एवं शर्तो में परिवर्तन करने, नियम—शर्तें शिथिल करने का अधिकार आयुक्त/संचालक जनसंपर्क संचालनालय, रायपुर को होगा जो निविदाकार को मान्य होगा। इस हेतु किसी भी प्रकार का पत्र व्यवहार नहीं किया जाएगा, न ही कोई जवाब दिया जाएगा।

31— चयनित निविदाकार का कार्य संतोषजनक नहीं पाए जाने पर निविदाकार फर्म को 07 दिवस के अन्दर कार्य में सुधार हेतु सूचित किया जाएगा एवं कार्य में सुधार न होने पर अनुबंध निरस्त कर दिया जाएगा तथा अमानत राशि राजसात कर ली जाएगी।

32— स्वीकृत निविदा आदेश दिनांक से दो वर्ष के लिए मान्य होगा। आपसी सहमति होने पर अवधि में 01 वर्ष तक वृद्धि करने का अधिकार आयुक्त/संचालक जनसम्पर्क संचालनालय, रायपुर को होगा।

33– बिना कोई कारण बताए किसी भी निविदा को मान्य या अमान्य करने का अधिकार संचालक/आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय रायपुर को होगा। इस हेतु किसी भी प्रकार का पत्र व्यवहार नहीं किया जाएगा। संचालनालय आवश्यकतानुसार निगोसिएशन कर सकेगा।

34– निविदा प्रस्ताव बंद लिफाफे में दिनांक 15–01–2021 को अपरान्ह 3:00 बजे तक जनसंपर्क संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर छ.ग. में जमा की जा सकती है। निविदा उसी दिनांक 15–01–2021 को सायं 4:00 बजे निविदा समिति के समक्ष खोली जाएगी जिसमें संस्था के अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकेंगे।

35– जनसंपर्क संचालनालय, रायपुर के वेबसाईट **www.dprcg.gov.in** से निविदा प्रपत्र डाउनलोड कर निविदा प्रपत्र शुल्क रू. 2000/– (रूपए दो हजार मात्र) (वापसी योग्य नहीं) की डी.डी./बैंकर्स चेक संचालक, जनसंपर्क संचालनालय के नाम से होगा।

36– निविदाकार को संचालक, जनसंपर्क संचालनालय, रायपुर के नाम से रूपए 1,00,000 (एक लाख रूपए) मात्र का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक संलग्न करना अनिवार्य है। उक्त राशि सुरक्षा निधि हेतु होगी। इसके अभाव में निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा। इस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। निविदा स्वीकृत न होने पर धरोहर राशि वापस कर दी जाएगी। इस संबंध में यदि पूर्व में सुरक्षा निधि जमा करायी गयी हो तो उसका समायोजन इस हेतु नहीं किया जाएगा।

37– घोषणा पत्र निर्धारित प्रारूप में 100 रूपये के स्टाम्प पेपर में प्रस्तुत करना होगा।

38– स्वीकृत निविदाकार का कार्य संतोषजनक नहीं पाए जाने पर अमानत राशि जप्त की जाएगी।

39– निविदाएं (तकनीकी बिड लिफाफा एवं वित्तीय बिड लिफाफा) अलग–अलग सील्ड लिफाफे में रखकर दोनों को एक बड़े लिफाफे में सील्ड कर प्राप्त की जाएगी।

(अ) तकनीकी बिड लिफाफा – इस लिफाफे में सभी शर्ते, अमानत राशि एवं निविदा प्रपत्र शुल्क अन्य वांछित अभिलेख होने चाहिए।

(ब) वित्तीय बिड लिफाफा – इसमें केवल वित्तीय भाव पत्र (दरें) निविदादाता के हस्ताक्षर के साथ होने चाहिए।

40– निविदा की किसी भी शर्तों, नियम कंडिका को शिथिल करने अथवा संपूर्ण निविदा को किसी भी समय निरस्त करने का संपूर्ण अधिकार आयुक्त सह संचालक, जनसम्पर्क को होगा।

41– किसी प्रकार के विवाद उत्पन्न होने एवं 30 दिवस के अंदर समाधान नहीं होने की स्थिति में निर्णय हेतु मामला एकल आर्बिट्रेटर प्रमुख सचिव/सचिव, जनसंपर्क विभाग को अग्रेषित किया जाएगा एवं उनका निर्णय दोनों पक्ष को मान्य होगा।

42– निविदा जमा करने का आशय यह होगा कि फर्म को शुल्क उक्त सभी नियम एवं शर्ते मान्य है।

43– निविदाकार फर्म द्वारा मासिक टी.व्ही. कव्हरेज एवं मल्टीकैम सेटअप से कव्हरेज में से दोनों या किसी एक में भी हिस्सा ले सकते हैं।

44– किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायालयीन क्षेत्र, रायपुर रहेगा।

आयुक्त सह संचालक
जनसंपर्क संचालनालय
अटल नगर, रायपुर छ.ग.

# <u>घोषणा–पत्र</u>

रूपए 100/– (एक सौ रू. मात्र) के स्टाम्प पेपर पर देना होगा।

मैं.......................................... फर्म का नाम.............................................................. घोषणा करता हूं कि मैंने जनसंपर्क संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, इन्द्रावती भवन, अटल नगर द्वारा विभिन्न अवसरों पर जारी शासकीय कार्यक्रमों, समारोह, बैठकों के टी.व्ही. कव्हरेज हेतु रूचि की अभिव्यक्ति संशोधित आमंत्रण प्रपत्र के नियम–शर्तों एवं वित्तीय दर प्रारूप को पढ़कर समझ लिया है। मैं इन सभी नियमों और शर्तों का पालन करने का वचन देता हूं।

हमारे द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव/आवेदन में अंकित कोई भी जानकारी अपर्याप्त/अधुरी या फिर गलत पायी जाती है तो प्रस्ताव अस्वीकार/निरस्त करने का अधिकार संचालक/आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय को होगा। इस बारे में मेरे या संस्था के किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी तरह की अपील या आपत्ति किसी भी क्षेत्र में नहीं की जाएगी। मुझे जनसंपर्क संचालनालय की उपरोक्त निविदा से संबंधित सभी नियम एवं शर्तें स्वीकार्य है।

यह कि हमारी संस्था ............................................ या मैं स्वयं किसी शासकीय या अर्द्धशासकीय संस्था में ब्लैक लिस्टेड नहीं है।

**gLrk{kj**

**uke@Qe! dk uke**
**i.k! irk-------------------------**
**--------------------------------------**
**Ekk- uacj---------------------------**

# शासकीय कार्यक्रमों, समारोह, बैठकों के मासिक टी.व्ही. कवरेज हेतु
# <u>वित्तीय दर प्रारूप</u>

## एचडी फार्मेट (1920X1080)

| | |
|---|---|
| कव्हरेज दर एक मुश्त –<br>एडिटिंग, डबिंग, फुटेज ई–मेल से भेजने, मानव संसाधन, आर्काईविंग एवं कम्प्यूटर–लैपटॉप सहित | |
| राजधानी रायपुर जिला मुख्यालय पर कव्हरेज की मासिक दर (प्रति कैमरा) | राज्य के जिलों मे कव्हरेज की मासिक दर (प्रति जिला प्रति कैमरा) |
| | |

## <u>मल्टीकैम सेटअप हेतु प्रति कव्हरेज की दर (समस्त उपकरणों एवं मानव संसाधन सहित)</u>

## एचडी फार्मेट (1920X1080)

| 03 कैमरे से कव्हरेज की दर | प्रति अतिरिक्त कैमरा हेतु |
|---|---|
| | |

निविदाकर्ता का नाम : ————————————————
फर्म का नाम और पता : ————————————————
मोबाईल/दूरभाष क्रमांक : ————————————————
हस्ताक्षर : ————————————————